

ग्रामीण क्षेत्र में आबंटित की गई भूमि के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों से लिया जाने वाला मूल्य

6521. श्री महा दीपक सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों को मकान बनाने हेतु आबंटित की गई भूमि का मूल्य नहीं लिया जाता है ;

(ख) क्या ये लोग वास्तव में इतने गरीब हैं कि वे मूल्य का भुगतान नहीं कर सकते ; और

(ग) सरकार इनके प्रत्येक परिवार को इस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). विच्छेद बर्गों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को गृहस्थल नियत करने के लिए कोई योजना नहीं है। प्रलब्धता राज्य क्षेत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश, केरल, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तामिलनाडु, दिल्ली तथा गोवा, दमन और दीव में अनुसूचित जातियों के लिए गृह स्थलों के हेतु विशिष्ट व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों के लोगों को मकानों के लिए जमीनें खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 200 से 500 रुपए तक का उपदान दिया जाता है। उपदान की धनराशि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोग साधारणतया गरीब होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के हेतु गृहस्थलों का नियतन करने के लिए उनसे कोई कीमत नहीं ली जाती है। इन लोगों को सरकारी भूमि मुफ्त दी जाती है। जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ राज्य सर-

कार भूमि अधिग्रहण करती है और तब इस प्रयोजन के लिए उसका बटवारा कर दिया जाता है। निर्माण और आवास विभाग की ग्रामीण आवास परियोजनाओं की योजना के अधीन भूमिहीन कृषि मजदूरों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग शामिल हैं, मकानों के लिए जमीनों का मुफ्त आबंटन करने के लिए व्यवस्था की गई है। अब तक इस कार्यक्रम के अधीन वास्तव में 19 6 गृह-स्थल दिए जा चुके हैं। यह योजना मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, मैसूर, गुजरात और पश्चिम बंगाल में चल रही है।

Construction of Lateral Road in Bihar

6522. SHRI N. K. SINHA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether a lateral road passing through the District of Purnia-Sharsa-Darbhanga, Muzaffarpur and Champaran in Bihar is being constructed to meet defence requirements of the country ;

(b) whether the same has been completed ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) to (c). The lateral road passing through the district of Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur and Champaran is being constructed to meet the various needs of the area including civil and non-civil requirements. This road does not pass through Sharsa District. The major portion of the road has already been completed. Some remaining items of work for completing the remaining portions of the road will also be completed by end of March, 1972, except the bridge over the River Gandak at Dumariaghat and its immediate approaches, which are expected to be completed by December, 1972.

Use of English as Medium of Instruction in Schools in NEFA

6523. SHRI C. C. GOHAIN : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Agency Councillors of

the NEFA area have recommended to the Government of India that English language be used as medium of instruction in the schools in NEFA from class IV onward, besides Hindi language, as compulsory subject and Assamese language be taught in lower primary schools ; and

(b) if so the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAVA) : (a) NEFA Administration intimated that the Agency Council in their meeting held on 10th and 11th August, 1970 recommended as follows :

- (a) Assamese should continue to remain as medium of instruction in the primary stage ;
 - (b) English should be the medium of instruction from the middle stage onwards ;
 - (c) Hindi should be taught as a compulsory subject throughout ;
 - (d) Teaching of English as a subject should be started as early as possible. The precise stage at which this should be done should be decided in consultation with experts.
- (b) The matter is under consideration.

Air Service from Mohanbari to Pasi Ghat, Teju and Doporijo

6525. SHRI C. C. GOHAIN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state whether Government propose to start an air service from Mohanbari to Pasi Ghat, Teju and Doporijo, and if so, when ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : There is no such proposal under consideration.

Denominational Colleges in Delhi

6526. SHRIMATI MUKUL BANERJEE : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state the number of denominational Colleges in Delhi and their names ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAVA) : According to Delhi University Act, Colleges which are maintained or admitted to its privileges by the University are either affiliated or constituent colleges and there is no category of denominational colleges. Admission in the colleges of Delhi University is open to all, irrespective of religion, caste or creed.

राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये धन राशि का नियतन

6527. श्री श्रीकार लाल बेरवा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए राजस्थान राज्य को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) उक्त धन राशि में से कितनी धन-राशि खर्च की गई ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए नियत की गई पूरी धनराशि को खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एन० रामास्वामी) : (क) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये राजस्थान राज्यों को क्रमशः 66.20 लाख रुपये, 54.25 लाख रुपये और 84.50 लाख रुपये की धनराशि दी गई है ।

(ख) तीन वर्षों अर्थात् 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान क्रमशः 76.39 लाख रुपये, 99.74 लाख रुपये और 94.75* लाख रुपये की धन-राशि खर्च की गई ।

(* प्रत्याशित व्यय)

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।